**External Debt Position of the Country**

1842. SHRI JAGESH DESAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India's external debt is going from bad to worse according to world debt tables (1989-90) computed by the World Bank ; and

(b) if so, what steps Government propose to reduce this gradually ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) and (b) No, Sir. The level of country's external debt and likely burden of debt servicing are being constantly kept in view to ensure that they remain within manageable limits. Government have taken a number of steps to boost exports and increase invisible earnings, contain imports, improve disbursement of committed aid/loan and to ensure that dependence on external financing is contained.

**प्राकृतिक विपदाओं के लिए राजस्थान में स्थापित किया गया आवर्ती कोष**

1843. **डा० अबरार अहमद खान : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार राजस्थान में प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए स्थापित किये गये आवर्ती कोष हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस कोष से धनराशि लिए जाने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक इस कोष से कितनी राशि निकाली गई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष जुलाई में राजस्थान के अधिकांश जिले भयंकर अकाल और बाढ़ की चपेट में रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या पीड़ितों को इस कोष में से कोई राहत प्रदान की गई, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या इस कोष से धनराशि लेने के लिए राज्य सरकार के पास अंशदान के लिए 25 प्रतिशत राशि नहीं है यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार या यह कोष राज्य में बाढ़ या अकाल के समय राज्य सरकार को राहत प्रदान कर सकेगा ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) नवें वित्त आयोग द्वारा अपनी दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत पर होने वाले व्यय को पूरा करने के वास्ते राजस्थान के लिए 1990–95 की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 124 करोड़ रुपये की राशि के संग्रह से एक आपदा राहत कोष स्थापित किया जाना है । केन्द्र सरकार इस कोष में प्रतिवर्ष 75 प्रतिशत अर्थात् 93 करोड़ रुपए का अंशदान करेगी तथा शेष राशि राज्य सरकार देगी । यह बात विचाराधीन है कि इस कोष को किस तरह स्थापित एवं प्रचालित किया जाए ।

(ग) कोष के ब्यौरे को अग्रिम रुपये दिए जाने तक राज्य सरकार को राहत उपाय करने में समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकार को उनके अनुरोध पर चालू वर्ष में अब तक 23.25 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है ।

(घ) चालू मानसून अवधि के दौरान राज्य सरकार से राजस्थान के किसी भी हिस्से में सूखे की स्थिति के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त